कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.– 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 144/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 14.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 14.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस- विज्ञप्ति दिनांक 14.04.2026

थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 50 हजार का इनामिया गिरफ्तार

गोवध गैंग का सदस्य एवं 50 हजार रुपये का इनामियां अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर प्रतिबन्धित पशुओं की चोरी कर ले जाता था गैर प्रान्त

पूर्व की घटना-

दिनांक 02.02.2026 को प्र0नि0 संजय सिंह मय हमराह क्षेत्र भ्रमण देखभाल क्षेत्र वान्छित चेकिंग संदिग्ध के मददे नजर सिंहपुर बाजार मे मामूर था कि ज्ञात हुआ कि 1- सोनू उर्फ जावेद पुत्र जहीर सा0 फत्तेपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ का एक संगठित गिरोह है। जो अपने साथियों 2- धर्मेन्द्र गुप्ता उर्फ बेचू पुत्र दीपचन्द गुप्ता सा0 सरायभादी थाना तरवाँ जनपद आजमगढ व 3- बुद्दू उर्फ फैजान पुत्र नवी रसूल सा0 भीखमपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ, 4- पप्पू उर्फ अली अहमद पुत्र इकबाल नट सा0 खौरा रसूलपुर व्यवहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, 5- आरिफ पुत्र इस्माइल सा0 खौरा रसूलपुर व्यवहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ, 6- राजकुमार पुत्र रूपचन्द सा0 खनौली रामपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के साथ मिलकर प्रतिबन्धित पशुओ का वध करने एवं आर्थिक एंव भौतिक लाभ हेतु हेतु गैर प्रान्त ले जाते है इनके इस कृत्य से वर्ग विशेष की भावनाएं आहत हो रही है। इस गिरोह का जनता मे इतना भय एंव आतंक व्याप्त है कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध अभियोग दर्ज कराने का साहस नही करता।

दिनांक 11-3-2024 को ग्राम शिवरामपुर मे पिकप से 02 प्रतिबन्धित पशु क्रुरता पूर्वक बधे हुएं बरामद हुएं जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 84/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर उपरोक्त गैंग के सदस्यों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है।

दिनांक 22-03-2024 को रमेश सिंह भटठा वहद ग्राम शिवरामपुर मे 02 प्रतिबन्धित पश बधे हुए बरामद हुए थे जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 100/24 धारा 34 भा0द0वि0 व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर उपरोक्त गैंग के सदस्यों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है।

अपराध करके लोक व्यवस्था छिन्न- भिन्न एंव समान्य जीवन अस्त व्यस्त करने वाले गैंग व उसके सदस्यों के विरुद्द अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से गैंग चार्ट तैयार करके जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ महोदय के अनुमोदनोपरान्त अभियुक्तों (I) सोनू उर्फ जावेद पुत्र जहीर सा0 फत्तेपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ (II) धर्मेन्द्र गुप्ता उर्फ बेचू पुत्र दीपचन्द गुप्ता सा0 सराय भादी थाना तरवां जनपद आजमगढ (III) बुद्धु उर्फ फैजान पुत्र नवी रसूल सा0 भीखमपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ (IV) पप्पू उर्फ अली अहमद पुत्र इकबाल नट सा0 खौरा रसूलपुर व्यवहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ (V) आरिफ पुत्र इस्माइल सा0 खौरा रसूलपुर व्यवहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ (VI) राजकुमार पुत्र रूपचन्द सा0 खनौली रामपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के विरुद्ध मु0अ0सं0 39/26 धारा 2(ख)(17),3(1) गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

जिसकी गिरफ्तारी हेतू निरन्तर दबिश दी जा रही थी परन्तु अभियुक्त फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु दिनांक 19.03.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 25000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था तथा गिरफ्तारी न हो पाने कि दशा में दिनांक 03.04.2026 पुलिस उप महा निरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ महोदय द्वारा 50000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.04.2026 को प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार मय हमराह व उ.नि.रणेन्द्र कुमार सिह मय हमराह एसटीएफ फील्ड यूनिट प्रयागराज द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त आरिफ पुत्र इस्माईस सा0 खौरा रसूलपुर व्यहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को करनेहुआ डिग्री कालेज के पास से समय करीब 20.00 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- आरिफ पुत्र इस्माईस सा0 खौरा रसूलपुर व्यहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 39/2026 धारा 2(ख) (17),3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 218/2017 धारा 379/411 भादवि0 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 84/24 धारा 3/5A/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 100/24 धारा 34 भादवि व 3/5A/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 39/26 धारा 2(ख) (17),3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार, का0 आदित्य पाण्डेय, का0 विकास यादव, का0 सन्दीप यादव थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

उ.नि. रणेन्द्र कुमार सिह, हे0का0 अश्वनीकुमार सिंह, हे0का0 संतोष कुमार, हे0का0 रोहित सिंह, हे0का0 किशन चंद्र एसटीएफ फील्ड यूनिट प्रयागराज।

प्रेस- विज्ञप्ति दिनांक 14.04.2026
मेंहनगर जनपद आजमगढ़

त्वरित कार्रवाई में पुलिस को सफलता, आरोपी गिरफ्तार

मामूली विवाद में युवक की हत्या करने वाला अभियुक्त 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार

आजमगढ़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही, हत्या का आरोपी गिरफ्तार; आलाकत्ल बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 12.04.2026 को वादी मुकदमा लौटन राम पुत्र स्व0 बलजोर राम ग्राम कटाँत चक कटाँत थाना मेहनगर जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 11-04-2026 की रात्रि समय करीब 10 बजे मोहन पुत्र स्व0 पल्टन राम निवासी ग्राम कटांत चक कटात थाना मेहनगर उम्र लगभग 35 वर्ष शराब के नशे मे अपने घर के पीछे गाली गलौज कर रहा था कि हमारा लडका विजेन्द्र कुमार गौतम पुत्र लौटन गौतम निवासी ग्राम कटाँत चक कटाँत थाना मेहनगर उम्र लगभग 36 वर्ष उसे गाली देने से मना किया तो उसने जान से मारने की नियत से हमारे लडके पर चाकू से प्रहार किया जिससे वादी का लडका गम्भीर रुप से घायल हो गया जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया तथा रास्ते में मृत्यु हो गई जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-118/26 धारा 103(1)/352 बीएनएस बनाम मोहन पुत्र स्व0 पल्टन राम के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.04.2026 को प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोहन पुत्र स्व0 पल्टन राम निवासी ग्राम कटांत चक कटात थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को हुसैनिया चौक के पास से समय करीब 22:45 बजे रात में हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अभियुक्त की निशा देही पर घटना में प्रयुक्त चाकू उसके घर से बरामद किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त- मोहन पुत्र स्व0 पल्टन राम निवासी ग्राम कटांत चक कटात थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
बरामदगी का विवरण:- 01 चाकू (घटना में प्रयुक्त)
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 118/26 धारा 103(1)/352 बीएनएस थाना मेंहनगर आजमगढ़
आपराधिक इतिहास – मु0अ0सं0 118/26 धारा 103(1)/352 बीएनएस बढ़ोत्तरी धारा (**4/25 Arms Act**) थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम– प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार, उ0नि0 आदिल खाँ, उ0नि0 तुषार त्रिपाठी, हे0का0 अनिल कुमार, का0 सोनू यादव का0 आदित्य पाण्डेय का0 विकास यादव, का0 सन्दीप यादव थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.04.2026
थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

पुलिस की त्वरित कार्रवाई, साइबर ठगी में गई रकम वापस

आजमगढ़ पुलिस की तत्परता से 61,900 रुपये कराए वापस

1930 पर शिकायत बनी कारगर, वापस मिले 61,900 रुपये

पीड़ित को रकम कराई गयी वापस

पूर्व की घटना- दिनांक 21.02.2026 को आवेदक राजकिशन भारती पुत्र रामललक निवासी ग्राम व थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के बैंक के खाते से UPI के माध्यम से **61,900 रूपये** का फ्राड हो गया था। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा **दिनांक 03.04.2026** को साईबर हेल्प लाइन नं0 **1930** के माध्यम से शिकायत सं0 **23104260063919** पंजीकृत करवाया गया था।
रिफण्ड वापसी का विवरण- उक्त शिकायत पर थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह के निर्देशन में साइबर टीम गम्भीरपुर द्वारा आवेदक के शिकायत की जांच की गयी जिसके द्वारा फ्राड का माध्यम का पता किया गया तथा शिकायत पर तत्काल कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित कर साइबर टीम थाना गम्भीरपुर द्वारा फ्रॉड हुई सम्पूर्ण धनराशि **61,900 रुपये** आवेदक के खाते में नियमानुसार वापस कराया गया।
साइबर टीम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ –

1. थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
3. म0का0 सुषमा सरोज, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस- नोट, दिनांक- 14.04.2026

थाना- थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

चाकू से हमला कर युवक व पिता को किया घायल, सभी अभियुक्त गिरफ्तार

थाना फूलपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 5 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

चाकू सहित मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार, अन्य भी भेजे गए जेल

पूर्व की घटना- दिनांक 14-04-2026 को मकुदमा वादी बदरेआलम S/O मो0 शोयब ग्राम जौमा थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि मेरे लडके मो0 आतिफ आलम को 1-मो0 अर्श उर्फ अर्शु आजम, 2-शहरयार पुत्र मो0 अकरम उनके साथी ने चाकु से गुर्दे, सिर व पीठ पर जान से मारने के नियत से वार किये है तथा बचाने में वादी को भी पेट मे चाकु से चोटे आई जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय मु0अ0सं0- 141/2026 धारा 3(5), 115(2), 61(2), 109 बीएनएस बनाम 1-मो0 अर्श उर्फ अर्शु 2-आजम 3-शहरयार पुत्र मो0 अकरम 4-मो0 अकरम पुत्र शाह मोहम्मद 5- मो0 इरशाद पुत्र मो तैय्यब के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष फूलपुर सच्चिदानन्द के निर्देशन में उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बनधित अभियुक्त 1- मो0 अर्श उर्फ अर्शु पुत्र अकरम सा0 जौंमा थाना फूलपुर आजमगढ को बीएसएनएल कार्यालय तिराहा से समय करीब 11:35 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 चाकु बरामद हुआ तथा अभियुक्तो 2-मो0 आजम पुत्र अकरम 3-शरहयार पुत्र अकरम 4-मो0 अकरम पुत्र शाहमोहम्मद सा0 जौमा थाना फूलपुर आजमग़ढ को शबाना मोड ग्राम सुदनीपुर से समय करीब 12:20 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 141/2026 धारा 3(5)/115(2)/ 62(2)/109 बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-मो0 अर्श उर्फ अर्शु पुत्र अकरम,
2-मो0 आजम पुत्र अकरम
3-शरहयार पुत्र अकरम
4-मो0 अकरम पुत्र शाहमोहम्मद निवासीगण जौमा थाना फूलपुर आजमग़ढ़

आपराधिक इतिहास-

1-मो0 अर्श उर्फ अर्शु पुत्र अकरम

1-मु0अ0सं0 141/2026 धारा 3(5)/115(2)/61(2)/109 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़।

2-मो0 आजम पुत्र अकरम

1-मु0अ0सं0 1001/2011 धारा 323/498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ
2-.मु0अ0सं0 141/2026 धारा 3(5)/115(2)/61(2)/109 बीएनएस थाना फूलपुर आजमगढ

3-शरहयार पुत्र अकरम

1- मु0अ0सं0 141/2026 धारा 3(5)/115(2)/61(2)/109 बीएनएस थाना फूलपुर आजमगढ

4-मो0 अकरम पुत्र शाहमोहम्मद निवासीगण जौमा थाना फूलपुर आजमग़ढ़

1.मु0अ0सं0 141/2026 धारा 3(5)/115(2)/ 61(2)/109 बीएनएस थाना फूलपुर आजमगढ
2- मु0अ0सं0 1001/2011 धारा 323/498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ

बरामदगी- मो0 अर्श उर्फ अर्शु पुत्र अकरम के पास से आला जुर्म एक अद्द नाजायज चाकु बरामद ।

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी, हे0का0 राजीव यादव, का0 वीरेन्द्र यादव, का0 ओमप्रकाश पटेल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।